

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-: मंत्रालय :-
वृत्तम भवन भोपाल

क्रमांक-22(ए)/64/53/2007/एमपीएस/31/1168

भोपाल, दिनांक 8/05/2013

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.


विषय:- बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना, शीर्ष कार्य (यूनिट-1) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

७-000-५

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 24.04.2013 में बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना, शीर्ष कार्य (यूनिट-1) की ₹1620.02 करोड़ (सोलह सौ बीस करोड़ दो लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिये जाने के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना, शीर्ष कार्य (यूनिट-1) परियोजना की ₹1620.02 करोड़ (सोलह सौ बीस करोड़ दो लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23 लेखा शीर्ष-4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अश्विनी कुमार उपमन्यु)

अवर सचिव,


म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक-22(ए)/24/2013/एमपीएस/31/1169

भोपाल, दिनांक 8/05/2013

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, बोधी जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, गंगा-कछार, जल संसाधन विभाग रीवा।
4. अधीक्षण यंत्री, बाणसागर बांध मंडल, रीवा।
5. निज सचिव, मान.मंत्रीजी जल संसाधन विभाग, भोपाल।
6. उप सचिव (बजट) म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जन-संबर्क विभाग भोपाल, निवेदन है कि शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के विषयक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।


अवर सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग